झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

संख्या-5/विविध-09/2001-3388./ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-85 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3/एम०-5069/87का०-2989, दिनांक-21, मार्च,1990 को इस संशोधन के साथ झारखंड राज्य के लिए अंगीकृत करते हैं कि उक्त संकल्प में जहाँ कहीं भी "बिहार" शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे "झारखंड" शब्द से प्रतिस्थापित समझा जाए । परिणामस्वरूप सेना में भर्ती के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही झारखंड राज्य में भी अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत किए जायेंगे ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

22.9.2001

(एम० पी० मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-5/विविध-09/2001-3388./रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

प्रतिलिपि- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2989 दिनांक-21, मार्च,1990 की प्रति के साथ महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय/ सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, कांके रोड, रांची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, झारखंड, उच्च

मुख्यालय/क्षेत्रीय भर्ती पदाधिकारी, रांची कैंट/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

22.9.2001

(एम० पी० मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 5/विविध-09/2001-3388./रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को अनुलग्नक की प्रति के साथ झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

22.9.2001

(एम० पी० मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।
संकल्प

पटना- 15 दिनांक मार्च 1990 ई० फाल्गुन,1911 (श०)

विषय : सेना में भर्त्ती हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रकिया एवं शर्त ।

सेना में भर्त्ती के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग कोटा निर्धरित है और इस कोटा के अधीन मात्र उस राज्य के अधिवासी की ही नियुक्ति की जानी है । अतएव बिहार राज्य के लिए सेना में निर्धरित कोटा के विरूद्ध, बिहार के निवासी को ही भर्त्ती किया जा सके , इसे सुनिशिचित करने के लिए "दि पब्लिक एम्पलॉयमेंट" (रिक्वायरमेंट ऐज टु रेजिडेंस) ऐक्ट, 1957 में निहित प्रावधनों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अधिवास प्रमाण-पत्र (रेजिडेंस सर्टिफिकेट) निर्गत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

राज्य सरकार ने भली भांति विचार कर सेना में भर्त्ती हेतु निम्नांकित आधार पर अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है :-

अधिवास प्रमाण-पत्र संबंधित जिला के जिला दण्डाधिकारी द्वारा उनके हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा । यह प्रमाण-पत्र निम्नांकित तीन शर्त्तों में से किन्हीं दो शर्त्तों को पूरा करने पर ही निर्गत किया जायगा । यह प्रमाण-पत्र केवल सेना में भर्त्ती के लिए आवश्यक होगा, अन्य किसी सेवा के लिए नहीं ।

(i) प्रत्याशी के माता - पिता बिहार राज्य में कम से कम दस वर्ष निवास किये हुए हों ।

(ii) प्रत्याशी को हिन्दी बोलना आता हो, तथा वे अगर साक्षर हों तो हिन्दी पढ़ने-लिखने की योग्यता हो,

(iii) बिहार में अचल सम्पति धारण करते हों ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राज्यपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/
(गोविन्द रा0 पटवर्धन)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/एम-5069/87 का0 2989 पटना-15 दिनांक 21 मार्च 1990 फाल्गुन,1911(श०)

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष /सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग /क्षेत्रीय भर्त्ती पदाधिकारी, मुख्यालय, दानापुर केंट / क्षेत्रीय भर्त्ती पदाधिकारी, वायुसेना, कदमकुंआ, पटना / निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/
(हर्ष वर्धन)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

पटना-15, दिनांक मार्च, 1990 ई.
फाल्गुन, 1911 (श०)

विषय:- सेना में भर्त्ती हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया एवं शर्त्तें ।

सेना में भर्त्ती के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित है और इस कोटा के अधीन मात्र उस राज्य के अधिवासी की ही नियुक्ति की जाती है। अतएव बिहार राज्य के लिए सेना में निर्धारित कोटा के विरुद्ध, बिहार के निवासी की ही भर्त्ती किया जा सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए "दि पब्लिक एम्पलायमेंट" (रिक्वायरमेंट ऐज टु रेसिडेन्स) ऐक्ट, 1957 में निहित प्रावधानों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अधिवास प्रमाण-पत्र (रेसिडेन्स सर्टिफिकेट) निर्गत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

राज्य सरकार ने भली भाँति विचार कर सेना में भर्त्ती हेतु निम्नांकित आधार पर अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है:-

अधिवास प्रमाण-पत्र संबंधित जिला के जिला दंडाधिकारी द्वारा उनके हस्ताक्षर से निर्गत किया जायगा । यह प्रमाण-पत्र निम्नांकित तीन शर्त्तों में से किन्हीं दो शर्त्तों को पूरा करने पर ही निर्गत किया जायगा । यह प्रमाण पत्र केवल सेना में भर्त्ती के लिए आवश्यक होगा, अन्य किसी सेवा के लिए नहीं ।

(i) प्रत्याशी के माता-पिता बिहार राज्य में कम से कम दस वर्ष ...... रहे हुए हों.

(ii) प्रत्याशी को हिन्दी बोलना आता हो, तथा वे अगर साक्षर हों तो हिन्दी पढ़ने-लिखने की योग्यता हो,

(iii) बिहार में अचल संपत्ति धारण करते हों।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

2: यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(गोविन्द राव पटवर्धन)
सरकार के सचिव ।